

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 20 (101) आयो./निकाशि/2011-12/ 43

दिनांक: 11.4.2012

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

उनियारा (टोंक) सोजतसिटी/पोकरण/कोटडा/

भीम /टोडाभीम /महिला सार्दुलशहर /केलवाडा/

विधि महाविद्यालय सीकर /अलवर/ अजमेर/

कोटा /भरतपुर /बीकानेर /भीलवाडा एवं श्रीगंगानगर

विषय :-जॉब कान्टेक्ट बेसिस पर संविदा कर्मचारी रखने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक एफ 20(101)403 आयो/
निकाशि/11-12 /905 दिनांक 04.04.2011

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व स्वीकृत पदों पर आयोजना मद के अन्तर्गत 41-संविदा व्यय मद के तहत रखने की अनुमति 31 मार्च 2013 तक बढ़ाई जाती है। संविदा पर कर्मचारी रखने से पूर्व वित्त विभाग के पत्रांक प.1 (4) वित्त /नियम /2011 दिनांक 29.4.2011 की अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

दिनांक: 11.4.2012

क्रमांक: एफ 20 (101) आयो./निकाशि/2011-12/ 43

प्रतिलिपि :- डा धीरेन्द्र देवर्षि प्रभारी वेबसाइट कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।

संयुक्त निदेशक